# प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

## बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं० 13/13–14

### अजय कुमार उर्फ काली चरण प्रसाद वनाम् रामविलास पासवान एवं अन्य

## आदेश

11.04.13 आवेदक अजय कुमार उर्फ कालीचरण प्रसाद पिता स्व०रामा साव साकिन जयपुर थाना मेहन्दिया जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि का सीमांकन कराने का अनुरोध किया है। साथ ही उक्त भूमि पर वादी के अधिकारों का प्रख्यापन करने का भी अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम सेदपुर धावा थाना नं०23 थाना वो जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

| खाता | खेसरा | रकवा | चौहद्दी |
|---|---|---|---|
| 124/21 | 113/79 | 14 डी० | उ०–ललन चौधरी<br>द०– मुरतजा एराकी<br>पू०– राम विलास पासवान<br>प०– बैजुक रजक |

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित भूमि आवेदक की मॉ श्रीमति श्यामा देवी पति श्री रामा प्रसाद के नाम वजरिये निबंधित केवाला द्वारा खरीदगी भूमि है तथा खरीदगी पश्चात् दाखिल खारिज कराकर शांतिपुर्ण दखल काबिज है। प्रतिवादीगण दिनांक 10.01.013 को आवेदक की भूमि में बढ़कर आरी दे दिये है। अतः भूमि पर आवेदक के अधिकारों का प्रख्यापन करते हुए सीमांकन कराया जाय।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा दाखिल आपति आवेदन के कंडिका – 6 में यह स्पष्ट वर्णित किया गया है कि वादी कुल तीन भाई है तथा उक्त परिस्थिति में सम्पूर्ण भूमि पर वादी को वाद लाने का कोई आधार या अधिकार नहीं है। वादी को जब संपूर्ण भूमि पर अधिकार ही नहीं है तो उक्त परिस्थिति में संम्पूर्ण भूमि पर सीमांकन कराने या अधिकार का प्रख्यापन नहीं किया जा सकता तथा आवश्यक पक्षकार के अभाव में उक्त वाद तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया जाना चाहिए।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क से सहमत होते हुए वाद को आवश्यक पक्षकार के अभाव में खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

(ह०) 11.04

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

(ह०) 11.04

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।